न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः—3 / 27 / 2025 दायर दिनांकः—02 / 07 / 2025

जीसीएमएस नं0:— 2025 / 278 निर्णय दिनांकः—10 / 11 / 2025

वउनवान

1. शिवराम पुत्र रामलाल जाटव निवासी सद्दा का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. रामोतार पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी सद्दाम तहसील कठूमर जिला अलवर।

———प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम धारा—1956

उपस्थितिः—1.श्री सत्येन्द्र चौधरी— अधिवक्ता प्रार्थीगण

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी का विजरहकर काश्तकरता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 207 रकवा 0.35 हे. वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 207 के भिडवां पडौसी खातेदार स्थित है।प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के वीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिस कच्ची मेड को अप्रार्थी वो इसके लडकों ने धीरे धीरे ट्रेक्टर से

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

जुताई कर स्वंय के खेत में मिला लिया तथा वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। प्रार्थी जव दोनों खेतों के मध्य को कच्ची मेड करने लगा तो अप्रार्थी ने कच्ची मेड बना ने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी स कहा कि दोनों के खेतों की पैमायस करवा के वीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमायस के लिये भीम ना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वंय के खेत खसरा नम्बर 207 की पैमाइस करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है।अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया।दिनांक 10.11.2025 को अप्रार्थी बाबजूद तामील उपस्थित नही आया उस के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम मक्खनकानगला पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनो को दौहराते हुये आसजी खसरा नम्बर 207 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी का विजरहकर काश्तकरता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 207 रकवा 0.35 हे. वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 207 के भिडवां पडौसी खातेदार स्थित है।प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के वीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिस कच्ची मेड को अप्रार्थी वो इसके लडकों ने धीरे धीरे ट्रेक्टर से जुताई कर स्वंय के खेत में मिला लिया तथा वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। प्रार्थी जव दोनों खेतों के मध्य को कच्ची मेड करने लगा तो अप्रार्थी ने कच्ची मेड बना ने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी स कहा कि दोनों के खेतों की पैमायस करवा के वीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमायस के लिये भीम ना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वंय के खेत खसरा नम्बर 207 की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

पैमाइस करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है।अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो वो आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 207 रकवा 0.35 हे. वाके ग्राम मक्खनकानगला व पडौसी खातेदार के खेतों के बीच में विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे परपत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)